

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक : एल-9/3/2005/ब-7/चार

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय : - वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न ऋणों पर ब्याज की दर का निर्धारण।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20 मार्च 2013 के द्वारा वर्ष 2012-13 के लिये ब्याज दरों का निर्धारण किया गया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान मंजूर किये जाने वाले ऋणों के लिये ब्याज की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र	ऋण की श्रेणी	ब्याज की वार्षिक दर (प्रतिशत में)
1	कृषक ऋण अधिनियम तथा भूमि सुधार ऋण अधिनियम के अन्तर्गत ऋण, वन तकावी व अन्य तकावी सहित	
	1. चार वर्ष व इससे कम अवधि के ऋण	11.00
	2. चार वर्ष से अधिक अवधि के ऋण	11.00
2	प्राकृतिक विपदाओं में हुए कष्टों में राहत देने के लिये कृषकों व अकृषकों को ऋण	11.00
3	(क) एक करोड़ से कम अंशपूजी वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण	11.50
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और एक करोड़ से अधिक अंशपूजी वाली सहकारी समितियों को ऋण	
	1. निवेश ऋण (Investment Loans)	14.50
	2. नगद कमी या कार्य चालन पूंजी को पूरा करने के लिये ऋण (Working Capital Loans and Loans to meet cash losses) अधिकतम 5 वर्ष	14.50
	3. म. प्र. राज्य विद्युत मंडल/विद्युत कंपनियों, (पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी, वितरण, उत्पादन, ट्रेडिंग) को आयोजनागत ऋण	14.50
	4. विद्युत वितरण कंपनियों को दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण	स्टेट बैंक आफ इंडिया की बेस दर (वर्ष 2013-14 तक मोरीटोरियम उपरांत 12 वर्ष में पुर्नभुगतान)



	5. म.प्र. विद्युत मंडल से उद्भूत अन्य कंपनियों के लिये कार्यशील पूंजी ऋण	14.50
	6. वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में विद्युत शुल्क तथा उपकर एवं सरदार सरोवर योजना से क्रय विद्युत देयकों का सतत ऋण से समायोजन	स्टेट बैंक आफ इंडिया की बेस दर (वर्ष 2013-14 तक मोरीटोरियम)
	7. 31-3-2011 की स्थिति में लंबित पूंजी ऋण एवं उस पर देय ब्याज की प्राप्ति का एकबारगी सतत ऋण से समायोजन	स्टेट बैंक आफ इंडिया की बेस दर (वर्ष 2013-14 तक मोरीटोरियम)
4	शहरी क्षेत्रों में अस्थायी जल कष्ट निवारण (आयोजना एवं आयोजनेतर)	11.50
5	उपद्रवों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण	11.00
6	डाकुओं से पीड़ित व्यक्तियों / परिवारों को ऋण	11.00
7	वन अधीक्षकों को बंदूक क्रय करने हेतु ऋण	12.50
8	बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु ऋण	
	(अ) राज्य शासन को प्राप्त ऋण जिसे राज्य शासन द्वारा अंशतः अनुदान एवं शेष ऋण के रूप में हस्तांतरित किया गया।	14.50
	(ब) राज्य शासन को प्राप्त ऋण जिसे पूर्णतः ऋण के रूप में हस्तांतरित किया गया।	11.00
9	राज्य शासन द्वारा तदर्थ आधार पर प्राप्त ऋण (शैक्षणिक अन्य सामाजिक सेवा संस्थाये तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण)	11.50
10	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	उन्ही दरों पर जिस पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है + 1 प्रतिशत
11	दाण्डिक ब्याज	सामान्य दर से 3.00 प्रतिशत अधिक

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मनीष रस्तोगी)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

01. राज्यपाल, मध्य प्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल।
03. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर।
04. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
05. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
06. सचिव, लोक आयुक्त मध्य प्रदेश, भोपाल।
07. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
08. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल।
09. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी)।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्य प्रदेश।
18. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्य प्रदेश।
19. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
21. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त संगठन / संघों की
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित।


(जितेन्द्र सिंह)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त
विभाग